न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

राजस्व निगरानी संख्या 16 / 20 — **वर्ष 2020**

जीसीएमएस संख्याः— (2020 / 00128)

बउनवानीः— 1. रामनिवास पुत्र ऊंकार माली
2. विमलेश पुत्र गौरी शंकर माली
3. जगदीश पुत्र सुखदेवा माली
4. राजेन्द्र पुत्र छोटू माली
5. ओम प्रकाश पुत्र रामनाथ माली
6. शंकर लाल पुत्र गोपाल माली
समस्त निवासी ईसरदा तह0 चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. आशाराम पुत्र कन्हैया लाल जाति मीना निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर
2. आवंटन सलाहकार समिति जरिये उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

(निगरानी प्रार्थना विरूद्व आवंटन आदेश दिनांक 25.5.1973 उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम,1970)

उपस्थितः— 1. श्री अजय शेखर दवे — वकील प्रार्थीगण
2. श्री गिर्राज सिंह गुर्जर — वकील अप्रार्थी

—: निर्णय :— — **दिनांक 16.11.2021**

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के द्वारा किये गये कृषि भूमि आवंटन आदेश दिनांक 25.5.1973 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि कथित आवंटन आदेश अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि दिनांक 25.5.1973 को भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विपक्षी के पिता कन्हैयालाल पुत्र लक्ष्मीनारायण मीना निवासी ईसरदा को साबिक ख0न0 1807 मे 01 बीघा जमीन का आवंटन हुआ था उक्त आवंटी की मृत्यु हो चुकी है अब उसका एक मात्र पुत्र आशाराम [illegible] आवंटन फ्रोड व मिस रिप्रजेन्टेशन के आधार पर आवंटन रूल्स की मंशा के विप[illegible] कि[illegible]या है। चूंकि उक्त भूमि आवंटन से लेकर आज दिनांक तक [illegible] जिसपर आवंटी का कब्जा काश्त भी नही है तथा उक्त भूमि [illegible] काश्तकारो द्वारा निर्बा[illegible]से रास्ते के अलावा मवेशिया को चराने के प्रयोग मे आ र[illegible] इसलिए उक्त आवंट[illegible]तथ्यो का पता नही चला विपक्षी द्वारा गत दो माह से सार्वजनिक उपयोग मे टोका टोकी करने के कारण उक्त आवंटन के तथ्यो का पता चला है। यह तर्क भी दिया कि आवंटन सलाहकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:54:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

समिति द्वारा नियमों व प्रावधानों की अनदेखी करते हुए सार्वजनिक उपयोग की भूमि का आवंटन किया है जो निरस्त योग्य है तथा भूमि साबिक ख0न0 1807 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम ईसरदा पटवार हल्का ईसरदा व वर्तमान खाता संख्या 23 मे ख0न0 2803 रकबा 0.25 है0 किस्म गै0मु0 पाल जो कि आवंटन से लेकर आज तक गै0मु0 पाल ही राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है तथा पाल के रूप मे ही आमजन द्वारा उपयोग उपभोग मे आ रही है । प्रार्थीगण उक्त भूमि मे मवेशी चराते है तथा पाल का उपयोग रास्ते के रूप मे अपने खेतो पर आने–जाने के लिए निर्बाध रूप से करते रहे है। किन्तु उक्त आवंटन गुपचुप तरीके से बिना आवंटन रूल्स की पालना किये अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया गया है जिसमे आवेदक द्वारा तत्समय धारित भूमि के तथ्य भी छिपाये गये है क्योकि आवंटन फार्म मे मद नम्बर 2 मे तत्समय आवंटी के खातेदारी की भूमि का विवरण रिक्त छोड रखा है। जबकि आवंटन के समय आवंटी के खाते मे 15 से 17 बीघा भूमि थी जिसकी पुष्टी जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2020–2023 एवं जमाबन्दी खतौनी खाता संख्या 567 सम्वत् 2030–2033 से हो जाती है। यह तर्क भी दिया आवंटन के समय पटवारी द्वारा तथ्य छिपाये गये क्योकि पटवारी रिपोर्ट के मद नम्बर 1 मे अनुसूचित जनजाति का होने के तथ्यो से इन्कार किया है मद नम्बर दो मे आवेदक की भूमि का विवरण भी शुन्य अंकित किया है मद नम्बर तीन मे आवेदक के पास 12.50 बीघा भूमि बताते हुए आवंटित भूमि को खेत के पास बताया गया है जबकि उक्त आवंटित ख0न0 1807 आवंटी के खेत से आधार किलोमीटर दूर है तथा आवंटित ख0न0 1807 का उपयोग आवंटन से पहले व आवंटन के बाद काश्त के रूप मे नही हुआ है इस संबंध में खसरा गिरदावरी ईसरदा सम्वत् 2059–60 , 2061–64, 2065–68, 2069–72 एवं 2073–76 से इन तथ्यो की पुष्टि हो जाती है क्योकि उक्त खसरा गिरदावरी मे उक्त भूमि को पडत दर्शाया गया है। इस प्रकार उक्त आवंटन मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराये गये आवंटन की श्रेणी मे आता है तथा इतने वर्ष पश्चात केवल मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराये गये आवंटन को खारिज किया जा सकता है अपने कथन के समर्थन पर न्यायिक दृष्टान्त RHC,RRD-2002 page 01, RRD1990 page 28,RHC,RRD2018, page-96, RRD,2014 Page 316 प्रस्तुत किये गये। उक्त आवंटन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी 1.7.2020 को प्राप्त हुई है तथा आवंटन आदेश की नकल प्राप्त होने के उपरान्त उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र जानकारी से अन्दर मयाद प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी खारिज किये जाने बाबत वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन विधिवत है जिसके किसी प्रकार की विधिक त्रृटि नही की है। यह तर्क भी दिया कि दिनांक 25.5.1973 को आवंटन सलाहकार समिति को अप्रार्थी भूमिहीन होने के कारण ग्राम ईसरदा के साबिक खन0 1807 मे से 1 बीघा भूमि का आवंटन किया जाकर आवंटित भूमि पर कब्जा सम्भलाया गया है। यह तर्क भी दिया कि आवंटित भूमि पर प्रार्थीगणों द्वारा बाडा बना रखे है कथन के समर्थन में सरपंच व पटवारी हल्का द्वारा [illegible] रिपोर्ट दिनांक 1.9.2020 प्रस्तुत की गयी जिसके मुताबिक उक्त भूमि पर कद[illegible] खुला हुआ है जिसको अप्रार्थी द्वारा अवरूद्व नही करने बाबत कथन [illegible] मूल आवंटन मिसल के अनुसार आवंटी के पक्ष मे किया गया उक्त [illegible] मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराये गये आवंटन की श्रेणी मे नही आता है। यह तर्क भी दिया कि उक्त भूमि को लेकर सिविल न्यायालय मे वाद विचाराधीन है। इसलिए प्रार्थीगणों की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) खारिज करने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

Go.
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:54:53 IST
Reason: SelfAttested

वकील उभयपक्षों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्को को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि वकील प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि साबिक ख0न0 1807 रकबा एक बीघा का आवंटन विधि विरूद्व एवं मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराया गया आवंटन की श्रेणी मे होने बाबत किये गये कथन की पुष्टि मूल आवंटन मिसल के अवलोकन से हो जाती है क्योकि आंवटित भूमि की किस्म आवंटन से पूर्व गै.मु. पाल दर्ज थी तथा आवंटन के समय आवंटी के पिता के खाते में 17 बीघा 11 बिस्वा भूमि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2020–2023 थी। किन्तु आवंटन के आवेदन पत्र मे आवंटी द्वारा उसके पिता के खातेदारी की भूमि मे से प्राप्त होने नोशनल शेयर का जिक्र नही किया है। रिपोर्ट पटवारी में भी प्रार्थी के तथा प्रार्थी के कुटुम्ब मे कितनी सिंचित व असिचिंत भूमि है का विवरण भी अंकित नही किया है इसके अतिरिक्त आवंटन सलाहकार समिति का कौरम भी पूर्ण नही था कोरम मे केवल सरपंच व उपखण्ड अधिकारी ही मौजूद थे तथा आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नही रहा है जिसकी पुष्टि वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 1.9.2020 से हो जाती है। वकील अप्रार्थी द्वारा उक्त आवंटन विधिसम्मत होने बाबत एवं उक्त भूमि को लेकर सिविल न्यायालय मे वाद जैरकार होने बाबत किये गये अपने कथन के समर्थन मे कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर उसके द्वारा किये गये कथन की पुष्टि हो सके। उक्त विवेचन से यह सिद्व होता है कि उक्त भूमि आवंटन में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 का उल्लघंन हुआ है तथा आवंटी के पिता के खाते मे 17 बीघा 11 बिस्वा भूमि होने के कारण आवंटी भूमिहीन व्यक्ति की श्रेणी मे नही आता है परन्तु आवंटन के आवेदन पत्र पर आवंटी द्वारा भूमि का विवरण अंकित नही किया है। आवंटन सलाहकार समिति का कौरम भी पूर्ण नही था एवं आवंटित भूमि पर आवंटी का तथा उसके वारिसान का आदिनांक तक कब्जा काश्त नही रहा है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्त RHC,RRD-2002 page 01; RRD1990 page 28,RHC,RRD2018, page-96, RRD,2014 Page 316 इस प्रकरण पर बखूबी चस्पा होते है। इसलिए आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन नियम विरूद्व एवं मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराये गये आवंटन की श्रेणी में होने के कारण विधिसम्मत नही है जिसको खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के पिता कन्हैयालाल के पक्ष मे किया गया आवंटन आदेश दिनांक 25.5.1973 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2021 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2022.01.17 17:54:53 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर